न्यायालय शेखर वर्मा कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 18 / बी–121 / 2014–15

: आदेश ::

(आज दिनांक 07 / 04 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 13.11.2014 को ग्राम घोघस्या तहसील जोबट मे सड़क दुर्घटना होने से भंगडिया पिता धुधंरा जाति भीलाला निवासी बडागुडा की मृत्यू हो गई थी । उसके वैध वारिश उसकी पत्नि श्रीमति अनबाई पति स्व श्री भंगडिया जाति भीलाला निवासी ग्राम बडागुडा को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृतक के वारिश उसकी पत्नि श्रीमति अनबाई पति स्व. श्री भंगडिया जाति भीलाला निवासी ग्राम बडागुडा हाल मुकाम उदयगढ को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/ एफ–20–21/2007/1/4 भोपाल, दिनाक 25/02/2009 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या –01–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 339 /रीडर/2015 अलीराजपुर दिनाक....9/4/2015

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर ।
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट
5 तहसीलदार तहसील जोबट ।
6 संबंधित श्रीमति अनबाई पति स्व. श्री भंगडिया जाति भीलाला निवासी ग्राम बडागुडा हाल मुकाम उदयगढ जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर